भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2024
30 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्षमता संवर्धन

†2024. **श्रीमती स्मिता उदय वाघ:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, विस्तार तथा आधुनिकीकरण हेतु निवेश को सुगम बनाने संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं, यदि हां, तो महाराष्ट्र, विशेषकर जलगांव जिले सहित राज्य-वार एवं जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र, विशेषकर जलगांव जिले, में मोटे अनाज आधारित उत्पादों, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण तथा कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों सहित मूल्य संवर्धित खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन पहलों के अंतर्गत सृजित रोजगार के अवसरों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रदान की गयी सहायता का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार जलगांव संसदीय क्षेत्र में अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित करने तथा मूल्य संवर्धन सुविधाएं प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) तथा एक केंद्रीय प्रायोजित योजना प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) के माध्यम से पूरे देश में संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

एमओएफपीआई, अपनी योजनाओं के माध्यम से, खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण अवसंरचना को मजबूत करने में मदद कर रहा है और इस प्रकार उत्पादन और प्रसंस्करण क्षमता के बीच के अंतराल को कम कर रहा है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत पूर्ण परियोजनाओं के परिणामस्वरूप पूरे देश में लगभग 241.55 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) प्रति वर्ष की प्रसंस्करण क्षमता का सृजन हुआ है। पीएलआईएफपीआई ने पीएलआई लाभार्थी को उन्नत मशीनरी खरीदने और संयंत्र स्थल पर स्थापित करने में सक्षम बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप क्षमता में प्रति वर्ष 39 एलएमटी (पीएलआई से पहले) से बढ़कर 73 एलएमटी प्रति वर्ष (पीएलआई के बाद) हो गई है।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक 10.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित किया है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2026 तक देश भर में 1735 परियोजनाओं को अनुदान सहायता के रूप में रु 9258.62 करोड़ और निजी निवेश लगभग रु 23904.75 करोड़ के साथ अनुमोदित किया गया है। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2026 तक, देश भर में 212 स्थानों पर 127 कंपनियों के 163 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 7,722 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के मुकाबले 9,207 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश हुआ है। इसी तरह, पीएमएफएमई के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2026 तक देश भर में 2,00,421 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को 5954.57 करोड़ रुपये की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी और निजी निवेश लगभग 14480.24 करोड़ रुपये के साथ अनुमोदित किया गया है। एमओएफपीआई की तीन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों, जिनमें मिलेट-आधारित उत्पाद, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण तथा कृषि-प्रसंस्करण उद्योग शामिल हैं, को बढ़ावा देने के लिए एमओफपीआई अपनी तीन योजनाओं के माध्यम से महाराष्ट्र के जलगांव जिले सहित पूरे देश में संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित उद्योगों की स्थापना हेतु संभावित उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य में जलगांव जिले सहित जिला-वार स्वीकृत परियोजनाएँ **अनुबंध-II** में दी गई हैं।

(घ): देश भर में एमओएफपीआई की योजनाओं के माध्यम से दिनांक 30.06.2026 तक सृजित प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का विवरण निम्नानुसार है-

- पीएमकेएसवाई: 9.16 लाख
- पीएमएफएमई: 6.01 लाख
- पीएलआईएसएफपीआई: 3.35 लाख

एमओएफपीआई की योजनाओं के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सहित उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ): एमओएफपीआई स्वयं कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। तथापि, यह महाराष्ट्र के जलगांव जिले सहित अपनी योजनाओं के माध्यम से ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है।

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्षमता संवर्धन " के संबंध से अतारांकित प्रश्न संख्या 2024 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेएसवाई की घटक योजना के अंतर्गत राज्य-वार अनुमोदित परियोजनाएँ

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित परियोजनाएं	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	अनुमोदित अनुदान सहायता (करोड़ रु. में)	निजी निवेश (करोड़ रु. में)
1.	अंडमान और निकोबार	2	5.36	3.17	2.19
2.	आंध्र प्रदेश	82	3121.12	726.72	2394.40
3.	अरुणाचल प्रदेश	12	177.89	82.10	95.79
4.	असम	97	1127.08	400.08	727.00
5.	बिहार	17	874.64	180.19	694.45
6.	चंडीगढ़	3	3.22	2.97	0.25
7.	छत्तीसगढ़	12	324.30	102.61	221.69
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	26.34	3.64	22.70
9.	दिल्ली	22	31.55	11.30	20.25
10.	गोवा	2	31.33	7.69	23.64
11.	गुजरात	128	3045.90	742.71	2303.19
12.	हरियाणा	104	1608.12	419.78	1188.34
13.	हिमाचल प्रदेश	45	695.02	297.53	397.49
14.	जम्मू और कश्मीर	41	433.52	203.40	230.12
15.	झारखंड	2	3.10	0.94	2.16
16.	कर्नाटक	110	1684.62	472.64	1211.98
17.	केरल	58	1091.35	318.58	772.77
18.	मध्य प्रदेश	51	1041.44	342.27	699.17
19.	महाराष्ट्र	260	4957.67	1318.82	3638.85
20.	मणिपुर	6	110.14	57.26	52.88
21.	मेघालय	8	101.12	65.86	35.26
22.	मिजोरम	4	107.01	66.31	40.70
23.	नागालैंड	4	105.04	63.99	41.05
24.	ओडिशा	33	847.22	229.06	618.16
25.	पुदुच्चेरी	2	0.81	0.81	0.00
26.	पंजाब	79	1663.76	454.98	1208.77
27.	राजस्थान	61	1199.11	329.24	869.86
28.	सिक्किम	1	6.17	3.64	2.53
29.	तमिलनाडु	171	2364.58	590.81	1773.77
30.	तेलंगाना	73	1916.19	409.54	1506.65
31.	त्रिपुरा	9	118.89	64.46	54.43
32.	उत्तर प्रदेश	103	2007.98	471.71	1536.27
33.	उत्तराखंड	72	1211.97	534.33	677.64
34.	पश्चिम बंगाल	60	1119.81	279.48	840.32
	कुल	**1735**	**33163.37**	**9258.62**	**23904.75**

ख. पीएमएफएमई के अंतर्गत राज्य-वार अनुमोदित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम

		सूक्ष्म खाद्य उद्यम के लिए क्रेडिट लिंक्ड			
क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	अनुदान (करोड़ रु. में)	निजी निवेश (करोड़ रु. में)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18	3.79	1.03	2.76
2.	आंध्र प्रदेश	9922	569.93	166.69	403.24
3.	अरुणाचल प्रदेश	254	51.75	17.22	34.54
4.	असम	6534	234.29	74.91	159.38
5.	बिहार	32100	2333.86	753.01	1580.86
6.	चंडीगढ़	5	0.60	0.21	0.39
7.	छत्तीसगढ़	1941	339.83	84.04	255.79
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	12	1.26	0.42	0.85
9.	दिल्ली	363	33.38	10.00	23.38
10.	गोवा	157	20.24	6.12	14.12
11.	गुजरात	1949	622.54	124.24	498.31
12.	हरियाणा	1989	719.60	129.02	590.58
13.	हिमाचल प्रदेश	2826	210.43	70.39	140.05
14.	जम्मू और कश्मीर	2704	169.53	58.01	111.53
15.	झारखंड	5442	348.48	114.29	234.19
16.	कर्नाटक	10289	1299.86	393.97	905.89
17.	केरल	9865	856.82	265.16	591.65
18.	लद्दाख	104	15.24	5.14	10.10
19.	मध्य प्रदेश	15946	1776.23	538.80	1237.43
20.	महाराष्ट्र	31236	3079.28	923.43	2155.85
21.	मणिपुर	318	62.93	22.01	40.92
22.	मेघालय	269	15.76	4.78	10.99
23.	मिजोरम	91	10.53	3.56	6.97
24.	नागालैंड	509	26.87	9.14	17.73
25.	ओडिशा	3921	403.82	117.63	286.19
26.	पुदुच्चेरी	231	18.04	5.45	12.58
27.	पंजाब	3506	1311.59	298.05	1013.54
28.	राजस्थान	1786	395.36	104.13	291.23
29.	सिक्किम	76	6.12	2.12	3.99
30.	तमिलनाडु	19328	1463.94	463.51	1000.42
31.	तेलंगाना	7826	537.64	119.81	417.82
32.	त्रिपुरा	380	30.38	10.14	20.23
33.	उत्तर प्रदेश	26465	3030.41	972.27	2058.14
34.	उत्तराखंड	1258	119.93	39.96	79.96
35.	पश्चिम बंगाल	801	314.56	45.92	268.64
	कुल योग	**200421**	**20434.81**	**5954.57**	**14480.24**

ग. पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत राज्य-वार अनुमोदित परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	स्थानों/संयंत्रों/इकाइयों की संख्या	प्राप्त निवेश (करोड़ रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	34	1313.33
2	असम	3	46.54
3	बिहार	7	660.37
4	छत्तीसगढ़	1	45.14
5	गोवा	1	20.21
6	गुजरात	27	1599.88
7	हरियाणा	6	80.62
8	हिमाचल प्रदेश	1	10.93
9	जम्मू और कश्मीर	2	78.6
10	झारखंड	2	11.76
11	कर्नाटक	13	312.87
12	केरल	7	193.34
13	मध्य प्रदेश	8	657.69
14	महाराष्ट्र	31	1368.71
15	ओडिशा	5	196.3
16	पंजाब	6	136.02
17	राजस्थान	6	279.94
18	तमिलनाडु	11	390.91
19	तेलंगाना	8	245.5
20	उत्तर प्रदेश	23	1242.83
21	उत्तराखंड	2	132.72
22	पश्चिम बंगाल	8	182.53
	कुल योग	**212**	**9207.00**

अनुबंध- II

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्षमता संवर्धन " के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2024 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क. <u>महाराष्ट्र राज्य में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत जिला-वार स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण</u>

क्र.सं.	ज़िला	स्वीकृत परियोजनाएँ	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	निजी निवेश (करोड़ रुपये में)
1	अहमदनगर	12	349.82	75.84	273.98
2	अमरावती	4	57.68	24.04	33.64
3	औरंगाबाद	14	260.65	90.97	169.67
4	बीड	4	93.44	24.84	68.60
5	भंडारा	1	26.65	10.00	16.65
6	भीड	1	16.76	5.00	11.76
7	चंद्रपुर	1	7.59	2.53	5.06
8	चेंबूर पश्चिम	1	0.30	0.15	0.15
9	धुले	3	58.97	18.74	40.23
10	हिंगोली	1	19.96	5.00	14.96
11	जलगांव	4	23.15	6.39	16.76
12	कोल्हापुर	11	148.00	43.75	104.25
13	लातूर	2	34.90	8.55	26.35
14	माटुंगा , मुंबई	4	1.22	1.22	0.00
15	मुंबई	12	128.08	27.08	101.00
16	मुंबई उपनगरीय	3	0.77	0.77	0.00
17	नागपुर	26	405.49	101.60	303.88
18	नांदेड़	6	68.41	19.05	49.36
19	नंदुरबार	3	44.22	16.73	27.49
20	नासिक	41	827.11	221.69	605.43
21	नवी मुंबई	8	137.85	38.19	99.66
22	उस्मानाबाद	1	23.80	10.00	13.80
23	पालघर	3	59.94	13.28	46.66
24	पालघर	1	23.45	7.22	16.23
25	परभनी	1	2.00	0.76	1.24
26	पुणे	30	581.38	133.42	447.96
27	रायगढ़	9	322.64	71.80	250.84
28	रत्नागिरि	1	0.38	0.38	0.00
29	सांगली	10	137.99	37.15	100.84
30	सतारा	17	583.18	131.89	451.29
31	सोलापुर	9	222.11	64.15	157.96
32	श्रीरामपुर	1	29.66	8.44	21.22
33	ठाणे	11	119.62	38.73	80.89
34	वर्धा	1	92.36	50.00	42.36
35	वाशिम	3	48.13	9.49	38.64
	कुल	**260**	**4957.67**	**1318.82**	**3638.85**

ख. महाराष्ट्र राज्य में पीएमएफएमई के अंतर्गत ज़िला वार स्वीकृत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का विवरण

क्र. सं.	ज़िला	स्वीकृत ऋणों की संख्या	निजी निवेश (करोड़ रुपये में)
1	अहिल्यानगर	1843	200.87
2	अकोला	577	35.21
3	अमरावती	1332	39.03
4	बीड	208	28.09
5	भंडारा	441	23.80
6	बुलढाना	1124	74.77
7	चंद्रपुर	1026	18.65
8	छत्रपति संभाजीनगर	2269	70.44
9	धाराशिव	538	24.95
10	धुले	653	37.16
11	गडचिरोली	433	5.29
12	गोंदिया	872	18.05
13	हिंगोली	312	16.06
14	जलगांव	1247	119.67
15	जालना	795	37.22
16	कोल्हापुर	1460	226.23
17	लातूर	454	30.24
18	मुंबई	10	1.40
19	मुंबई उपनगरीय	58	2.46
20	नागपुर	998	43.14
21	नांदेड़	479	33.62
22	नंदुरबार	661	26.81
23	नासिक	1622	193.53
24	पालघर	451	21.84
25	परभनी	410	29.34
26	पुणे	1581	204.57
27	रायगढ़	390	20.10
28	रत्नागिरि	589	49.69
29	सांगली	1635	117.71
30	सतारा	1234	131.75
31	सिंधुदुर्ग	773	41.76
32	सोलापुर	1330	127.18
33	ठाणे	488	31.61
34	वर्धा	1085	30.86
35	वाशिम	716	19.74
36	यवतमाल	1142	23.02
	कुल	**31236**	**2155.85**

ग. **<u>महाराष्ट्र राज्य में पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत ज़िला-वार स्वीकृत आवेदनों का विवरण</u>**

क्र. सं.	ज़िला	कुल परियोजनाओं की संख्या	प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रुपये में)	वास्तविक निवेश (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1.	नागपुर	12	320.80	449.76	परिचालन
2.	पुणे	6	216.88	376.87	परिचालन
3.	नासिक	4	180.81	232.37	परिचालन
4.	मुंबई	1	9.00	11.06	परिचालन
5.	ठाणे	2	25.60	24.44	परिचालन
6.	रायगढ़	2	93.10	163.03	परिचालन
7.	रत्नागिरि	2	61.44	74.64	परिचालन
8.	सतारा	1	7.88	7.88	परिचालन
9.	अहमदनगर	1	26.47	28.66	परिचालन
	कुल	**31**	**941.98**	**1,368.71**	**—**

अनुबंध - III

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्षमता संवर्धन " के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2024 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन

क्र.सं.	घटक योजना	सामान्य क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु योजना लाभ (सहायता अनुदान)	दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ एससी/एसटी, एफपीओ, एसएचजी की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ (सहायता अनुदान)
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत का 35% सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
2.	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार	पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]
3.	कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना का 50% सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% सहायता अनुदान, अधिकतम सहायता अनुदान 15 करोड़ रुपये प्रति परियोजना होगी; और स्टैंडअलोन फसलोत्तर अवसंरचना की परियोजनाओं के लिए, अधिकतम सहायता अनुदान 10 करोड़ रुपये प्रति परियोजना होगी।	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का अधिकतम 50% की दर से सहायता अनुदान, प्रति परियोजना अधिकतम सहायता अनुदान 15 करोड़ रुपये होगी और स्टैंडअलोन फसलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, प्रति परियोजना अधिकतम सहायता अनुदान 10 करोड़ रुपये होगा।
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 50% की दर से सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 70% की दर से सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]

6.	मानव संसाधन एवं संस्थान-अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत का 100% की दर से अनुदान, उपभोग्य वस्तुएं। निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए, उपकरण लागत का 50% की दर से अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत का 100% की दर से अनुदान, उपभोग्य वस्तुएं। निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए, उपकरण लागत का 70% की दर से अनुदान।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) के अंतर्गत प्रोत्साहन संरचना

श्रेणी/खंड	खंड	प्रोत्साहन वितरण मानदंड (%)		ऊपरी सीमा (% और राशि करोड़ में)	प्रोत्साहन की दर (%)					
		न्यूनतम सीएजीआर	अधिकतम सीएजीआर		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
श्रेणी 1										
आरटीई/आरटीसी	बिस्किट	10%	13%	8% .334.48 रुपये	5%	5%	5%	5%	4.5%	4%
	गैर-बिस्किट				7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	6.75%	6%
एफ एंड वी	मसाले	10%	12%	8% 286.56 रुपये	5%	5%	5%	5%	4.5%	4%
	गैर-मसाले		15%		10%	10%	10%	10%	9%	8%
समुद्री	समुद्री उत्पाद	5%	10%	8% 79.44 रुपये	6%	6%	6%	6%	5%	4%
	मूल्य वर्धित उत्पाद				10%	10%	10%	10%	10%	10%
मोत्ज़रेला पनीर		15%	16%	25% 70.75 रुपये	10%	10%	10%	8%	6%	4%
मिलेट उत्पाद	बड़ी इकाई	10%	-	100 रुपए	-	10%	10%	10%	9%	8%
	एमएसएमई	10%	-	10.54 रुपये						
श्रेणी. 2	जैविक उत्पाद	10%	-		10%	10%	10%	10%	9%	8%
	अभिनव उत्पाद	10%	-		10%	10%	10%	10%	9%	8%
श्रेणी 3	ब्रांडिंग और मार्केटिंग (बी एंड एम)	केवल भारतीय ब्रांडों को ही भारत में पूरी तरह से निर्मित खाद्य उत्पादों को बेचने की अनुमति है।		कुल व्यय का 50%	-	विदेश में बी एंड एम पर हुए खर्च का 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है।				

सीएजीआर - चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

<u>पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए उपलब्ध सहायता का विवरण</u>

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों के लिए सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii). *एसएचजी के लिए प्रारंभिक पूँजी सहायता:* खाद्य प्रसंस्करण में लगे एसएचजी के प्रत्येक सदस्य को कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों के लिए 40,000 रुपये की प्रारंभिक पूँजी, प्रति एसएचजी फेडरेशन अधिकतम 4 लाख रुपये की सीमा के अधीन।

(iii). *सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक होगी। यह सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और जनता के लिए भी क्षमता के बड़े हिस्से के लिए किराए के आधार पर उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगी

(iv) *ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता:* एफपीओ / एसएचजी /सहकारी समितियों के समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 50% तक अनुदान।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: यह कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित किया गया है।
